(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 19/2017 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्धारण" के अंतर्गत नियम 6 के अधीन निर्धारिती द्वारा किया गया शुल्क का स्वतः निर्धारण और नियम 7 के अधीन अनंतिम निर्धारण भी है ;

(ग) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति, जो निर्धारित शुल्क के संदाय के लिए दायी है या शुल्क्य माल का कोई उत्पादक या विनिर्माता या किसी से प्राइवेट भांडागार का, जिसमें शुल्क्य माल भंडारित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत अभिकर्ता भी है ;

(घ) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "शुल्क" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय शुल्क अभिप्रेत है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "भांडागार" से नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्थान या परिसर अभिप्रेत है ; और

(3) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनका है ।

3. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकारिता** - (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम और इन नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, जो वह ठीक समझे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य-आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपीली) की अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अधिनियम या इन नियमों द्वारा या उनके अधीन किसी अन्य ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

4. **हटाए जाने पर संदेय शुल्क** - (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी शुल्क्य माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो किसी भांडागार में ऐसे माल का भंडारण करता है, नियम 8 में या किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित रीति में ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करेगा और कोई भी ऐसा शुल्क्य माल, जिस पर शुल्क संदेय है, शुल्क का संदाय किए बिना किसी ऐसे स्थान से, जहां उनका उत्पादन या विनिर्माण होता है या किसी भांडागार से, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, हटाया नहीं जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, माल की प्रकृति और विनिर्मिती के परिसर में जहां माल बनाया जाता है, भंडारण के स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए, आपवादिक परिस्थितियों में, विनिर्माता को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, बिना किसी संदाय के ऐसे परिसर से बाहर किसी अन्य स्थान पर उसके माल के भंडारण की अनुज्ञा दे सकेगा ।

5. **शुल्क के अवधारण और टैरिफ मूल्यांकन की तारीख**.- किसी शुल्क्य माल को लागू शुल्क की दर या टैरिफ मूल्य पर, उस तारीख को, जब ऐसा माल, यथास्थिति, किसी कारखाने या भांडागार से हटाया जाता है, प्रवृत्त दर या मूल्य होगा ।

स्पष्टीकरण - यदि किसी शुल्क्य माल का उपयोग कारखाने में किया जाता है तो ऐसे माल के हटाए जाने की तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको माल ऐसे उपयोग के लिए जारी किया गया है ।

6. **शुल्क का निर्धारण** - निर्धारिती, किसी शुल्क्य माल पर संदेय शुल्क का निर्धारण स्वयं करेगा :

परंतु सिगरेट की दशा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, निर्धारिती द्वारा हटाए जाने के पूर्व संदेय शुल्क का निर्धारण करेगा ।

7. अनंतिम निर्धारण - (1) जहां निर्धारिती, शुल्क्य माल के मूल्य का अवधारण या उसको लागू शुल्क की दर का अवधारण करने में असमर्थ है वहां वह, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उपायुक्त से लिखित में अनंतिम आधार पर, शुल्क का संदाय करने के कारण देते हुए अनुरोध कर सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त, ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनंतिम आधार पर शुल्क का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश कर सकेगा ।

(2) अनंतिम आधार पर शुल्क का संदाय तभी अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि निर्धारिती ऐसे प्रतिभू या ऐसी रकम की प्रतिभूति के साथ, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त ठीक समझे, बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा विहित प्ररूप में कोई ऐसा बंधपत्र निष्पादित करता है जो निर्धारिती को शुल्क की ऐसी रकम, जो अंतिम रूप से निर्धारित की जाए और अनंतिम रूप से निर्धारित रकम के बीच के अंतर के संदाय के लिए बाध्यकर बनाता है ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त, ऐसी सुसंगत जानकारी जो अंतिम रूप से निर्धारण के लिए अपेक्षित है, उपलब्ध होने के पश्चात् यथाशीघ्र, किंतु उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर अंतिम निर्धारण का आदेश पारित करेगा :

बशर्ते कि इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) निर्धारिती, अनंतिम निर्धारण के अधीन माल पर संदत्त या संदेय किसी ऐसी रकम पर जो, यथास्थिति, नियम 8 के उपनियम (1) या उसके पहले परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को संदत्त नहीं की गई है, देय तारीख के पश्चात् पहले दिन से आरंभ होने वाली और वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 11कक के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज के संदाय का दायी होगा, चाहे ऐसी रकम अंतिम निर्धारण का आदेश किए जाने के पहले या उसके पश्चात् संदत्त की गई हों ।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अनंतिम निर्धारण के अधीन माल पर, जिसकी जनवरी, 2017 मास में निकासी हुई थी, 6 फरवरी, 2017 (नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन देय तारीख)को 5000रु. का अनंतिम शुल्क संदत्त किया जाता है, 15 अप्रैल, 2017 को 9000रु. का और शुल्क संदत्त किया जाता है और उसी दिन निर्धारिती द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं । 15,000 रु. के रूप में माल पर संदेय शुल्क का निर्धारण करते हुए अंतिम निर्धारण आदेश 18 जून, 2017 को जारी किया जाता है और परिणामस्वरूप निर्धारिती 30 जून, 2017 को 1000रु. शुल्क का संदाय करता है तो 5000रु. पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, ब्याज 9000रु. पर 7 फरवरी, 2017 से 15 अप्रैल, 2017 तक संदेय होगा और 1000रु. पर ब्याज 7 फरवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक संदेय होगा क्योंकि 15000रु. शुल्क के संदाय की देय तारीख 6 फरवरी, 2017 है ।

(5) जहां निर्धारिती उपनियम (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप किसी प्रतिदाय का हकदार है वहां उसे अधिनियम की धारा 11खख के अधीन यथा उपबंधित ऐसे प्रतिदाय पर ब्याज संदत्त किया जाएगा ।

(6) उपनियम (3) के अधीन अवधारित प्रतिदाय की कोई रकम निधि में जमा की जाएगी :

परंतु प्रतिदाय की रकम, निधि में जमा किए जाने के बजाय आवेदक को संदत्त की जाएगी, यदि ऐसी रकम,-

(क) विनिर्माता द्वारा संदत्त उत्पाद शुल्क मानी जा सकने वाली है यदि उसने, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे शुल्क की प्रसंगति पर संक्रात नहीं किया है ; या

(ख) क्रेता द्वारा दिया गया उत्पाद शुल्क मानी जा सकने वाली है, यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे शुल्क की प्रसंगति पर संक्रात नहीं किया है ।

8. **संदाय की रीति** - (1) किसी मास के दौरान कारखाने या भांडागार से हटाए गए माल पर शुल्क का संदाय आगामी मास की छह तारीख को किया जाएगा यदि शुल्क का संदाय इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाता है और किसी अन्य दशा में आगामी मास की पांच तारीख तक किया जाएगा :

बशर्ते कि मार्च मास के दौरान हटाए गए माल की दशा में शुल्क का संदाय 31 मार्च तक किया जाएगा :

बशर्ते कि यह और कि जहां कोई निर्धारिती, किसी वित्तीय वर्ष में निकासी के मूल्य पर आधारित किसी अधिसूचना के अधीन छूट का उपभोग करने का हकदार है वहां वित्तीय वर्ष के तिमाही के दौरान निकासी किए गए माल पर शुल्क का संदाय, उस तिमाही के आगामी मास की छह तारीख तक किया जाएगा, यदि शुल्क का संदाय इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से किया जाता है और किसी अन्य दशा में, उस तिमाही के आगामी मास की पांच तारीख तक किया जाएगा सिवाय अंतिम तिमाही के दौरान हटाए गए माल की दशा में, जो 1 जनवरी से आरंभ होता है और जिसके लिए शुल्क का संदाय 31 मार्च तक किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-1.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई निर्धारिती पात्र होगा यदि उसके, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू खपत के लिए सभी शुल्क्य माल की निकासी का संकलित मूल्य चार करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण-2.- संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए इस परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट संदाय की रीति निर्धारिती को उपलब्ध होगी ।

(2) प्रत्येक निर्धारिती, शुल्क का संदाय इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से करेगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से निर्धारिती को इंटरनेट बैंकिंग से भिन्न किसी अन्य रीति द्वारा शुल्क का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति से हटाए गए शुल्क्य माल पर उत्पाद शुल्क इन नियमों के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा और किसी नियम द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित ऐसे शुल्क का प्रत्यय अनुज्ञात होगा ।

(4) यदि निर्धारिती, देय तारीख तक शुल्क की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो वह बकाया रकम का, अधिनियम की धारा 11कक के अधीन अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर देय तारीख के पश्चात् पहले दिन से प्रारंभ होने वाली और बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया रकम पर ब्याज के साथ संदाय करने का दायी होगा ।

(5) यदि निर्धारिती, देय तारीख से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे घोषित शुल्क का संदाय करने में, जो उसके द्वारा विवरणी में संदेय है, असफल रहता है तो निर्धारिती, प्रत्येक मास के लिए असंदत्त शुल्क की ऐसी रकम पर देय तारीख से संगणित प्रत्येक मास के लिए या उसके किसी भाग के लिए ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक प्रतिशत की दर पर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए 'मास' से, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (1) के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट शुल्क के संदाय के लिए दो क्रमवर्ती देय तारीखों के बीच की अवधि अभिप्रेत है ;

(6) अधिनियम की धारा 11 के उपबंध, नियम 6 के अधीन यथानिर्धारित और इन नियमों के अधीन फाइल की गई विवरणी में उल्लिखित शुल्क और उपनियम (4) के अधीन ब्याज और उपनियम (5) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी शुल्क या अन्य राशि की वसूली के लिए लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) शुल्क का दायित्व को केवल तभी उन्मोचित हुआ समझा जाएगा जब संदेय रकम विनिर्दिष्ट तारीख तक केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा हो जाती है ;

(ख) यदि निर्धारिती चैक द्वारा शुल्क जमा करता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित बैंक में चैक प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी तारीख समझा जाएगा जिसको उस चैक के आपन के अधीन रहते हुए शुल्क संदत्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण 2 – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'शुल्क' या 'उत्पाद शुल्क' पदों के प्रति केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 के निबंधन में संदेय रकम को भी सम्मिलित किया जाएगा ।

9. रजिस्ट्रीकरण –(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है, कारबार करता है जिसका प्राईवेट भंडार कक्ष या भांडागार है या अन्यथा उत्पाद शुल्क माल का उपयोग करता है या कोई ऐसा आयातकर्ता, जिसने बीजक जारी किया है जिस पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के अधीन अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण इन नियमों के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के रूप में विधिमान्य समझा जाएगा ।

(2) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिससे ऐसे रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं हो सकेगी ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया के अध्यधीन होगा जैसा बोर्ड द्वारा अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

10. **दैनिक भण्डार लेखा** – (1) प्रत्येक निर्धारिती, उत्पादित या विनिर्मित साल के वर्णन से सम्बन्धित विशिष्टियों, आरंभिक अतिशेष, उत्पादित या विनिर्मित माल की मात्रा, माल की सूची, हटाई गई मात्रा, निर्धारणीय मूल्य, देय शुल्क की रकम और वास्तविक रूप से संदत्त शुल्क की रकम से सम्बन्धित विशिष्टयों को उपदर्शित करते हुए पढ़ने जाने योग्य रीति में दैनिक आधार पर समुचित अभिलेख का बनाए रखेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक लेखा पुस्तिका के पहले पृष्ठ और अन्तिम पृष्ठ को उत्पादनकर्ता या विनिर्माताकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(3) ऐसे सभी अभिलेखों को, उस वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में ऐसा अभिलेख है, ठीक पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा ।

(4) इस नियम के अधीन अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार परिरक्षित अभिलेख के प्रत्येक पृष्ठ को डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित अभिलेख के परिरक्षण में किसी निर्धारिती द्वारा अनुसरण की जाने वाली शर्तें, रक्षोपाय और प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण – इस नियम और नियम 11 के प्रयोजनों के लिए "अधिप्रमाणित", "डिजीटल हस्ताक्षर" और "इलेक्ट्रॉनिक रूप" के पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनका है ।

11. **बीजक के आधार पर माल का हटाया जाना** – (1) किसी उत्पाद शुल्क माल को, कारखाने या किसी भांडागार कारखाने के स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी बीजक के अधीन ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं हटाया जाएगा और सिगरेटों की दशा में प्रत्येक ऐसे बीजक को कारखानों से सिगरेटों को हटाये जाने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जाएगा ।

(2) बीजक श्रृंखलाबद्ध संख्यांकित होगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग का पता, परेषिती का नाम, विवरण, वर्गीकरण, हटाये जाने का समय और तारीख, परिवहन की रीति, और यान रजिस्ट्रीकरण संख्या, शुल्क की दर माल की मात्रा और मूल्य और उस पर संदेय शुल्क अन्तर्विष्ट होगा :

बशर्ते कि बीजक पर स्वत्वधारी समुत्थान या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब द्वारा स्वामित्वाधीन का किसी कारबार, यथास्थिति, स्वत्वधारी या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के नाम का ही उल्लेख किया जाएगा :

बशर्ते कि यह और कि यदि माल किसी विनिर्माता के निदेश पर छुट-पुट काम करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है, बीजक पर क्रेता के रूप में विनिर्माता के ब्यौरे को भी अन्तर्विष्ट होंगे और परेषिती के रूप में छुट-पुट काम करने वाले कर्मकार के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे :

बशर्ते कि यह भी कि यदि माल रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के निर्देश पर किसी व्यक्ति को सीधे भेजा जाता है तो बीजक पर क्रेता के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के और परेषिती के रूप में उस व्यक्ति के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे और वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के बीजक के आधार पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लेगा ।

बशर्ते कि यह भी कि यदि प्रवेश पत्र के अन्तर्गत आयात किए गए माल को सीधे क्रेता के परिसर में भेजा जाता है तो आयातकर्ता द्वारा जारी बीजक में यह उल्लेख होगा कि माल आयात के स्थान या पत्तन से क्रेता के परिसर को भेजा गया है ।

(3) बीजक निम्नलिखित रीति में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) मूल प्रति क्रेता के लिए मूल प्रति के रूप में चिन्हांकित होगी ;

(ii) दूसरी प्रति परिवाहक के लिए द्वितीय प्रति के रूप में चिन्हांकित होगी ;

(iii) तीसरी प्रति निर्धारिती के तीसरी प्रति के रूप में चिन्हांकित होगी ;

(4) एक समय पर बीजक पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा जब तक, यथास्थिति,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप-आयुक्त द्वारा प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अन्यथा अनुज्ञात न किया गया हो तब तब एक समय पर बीजक पुस्तिका की केवल एक प्रति का ही उपयोग किया जाएगा ।

(5) बीजक पुस्तक के प्रयोग किए जाने से पूर्व उसकी क्रम संख्या को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक अपनी अधिकारिता में संसूचित करेगा।

(6) इस नियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी ऐसे आयातकर्ता द्वारा जो ऐसा बीजक तैयार करता है जिसके आधार पर केंद्रीय मूलवर्धक कर प्रत्यय लिया जा सकता है या पहले स्तर के व्यौहारी या दूसरे स्तर के व्यौहारी द्वारा प्रदाय किए गए माल को लागू होंगे ।

बशर्ते कि किसी ऐसे बीजक के अधीन जिसपर यह उपदर्शित किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं होगा, आयातित माल प्राप्त करने वाले प्रथम स्तरीय व्यवहारी की दशा में, उक्त व्यवहारी उक्त आयातित माल के पुन:विक्रय पर उसके द्वारा जारी बीजक पर यह उपदर्शित करेगा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत कोई अतिरिक्त शुल्क अनुज्ञेय नहीं होगा ।

बशर्ते यह और कि किसी ऐसे बीजक के अधीन जिसपर यह उपदर्शित किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं होगा, आयातित माल प्राप्त करने वाले द्वितीय स्तरीय व्यौहारी की दशा में, उक्त व्यवहारी उक्त आयातित माल के पुन:विक्रय पर उसके द्वारा जारी बीजक पर यह उपदर्शित करेगा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत कोई अतिरिक्त शुल्क अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(7) किसी विनिर्माता द्वारा इस नियम के अधीन जारी बीजक को डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि जब परिवाहक के लिए बनाई गई बीजक की दूसरी प्रति पर डिजीटल हस्ताक्षर किया जाता है, वहां परिवाहक के लिए बनाई गई बीजक की दूसरी प्रति की प्रति का माल के परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(8). बोर्ड, अधिसूचना द्वारा डिजीटल रुप से हस्ताक्षरित बीजक का उपयोग करने वाले निर्धारिती द्वारा अनुसरण किए जाने वाले शर्तों, रक्षोपायों, और प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्रथम स्तरीय व्यवहारी और दूसरे स्तर के व्यवहारी का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 में उनका है

12. **विवरणी का फाइल किया जाना** -(1) प्रत्येक निर्धारिती, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररुप में माल के उत्पादन और हटाए जाने तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियों की मासिक विवरणी उस मास के जिससे विवरणी संबंधित है, बंद होने के पश्चात् दस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा;

बशर्ते कि कोई ऐसा निर्धारिती, जो टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू वाले पान मसाले का विनिर्माण करता है और किसी मास में पांच लाख रुपए से अधिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय करता है, विवरणी के साथ उस मास की जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण भी फाइल करेगा, --

(i) क्रय किए गए उक्त माल की मात्रा के साथ सुपारी, तंबाकू और पैक की जाने वाली सामग्री के प्रदायकर्ता के नाम और पते के साथ उस मास के क्रय बीजक; और

(ii) क्रेता का नाम और पता, विवरण, निर्धारिती द्वारा विक्रय किए गए माल का वर्णन, उसकी मात्रा और मूल्य के साथ उस मास के विक्रय बीजक

स्पष्टीकरण :- जब माल का विक्रय कारखाने से नहीं किया जाता है तो उस परिसर का पता भी उपलब्ध करवाया जाएगा जहां माल कारखाने से भेजा गया है ।

बशर्ते यह और कि जहां कोई निर्धारिती किसी वित्तीय वर्ष में निकासी के मूल्य के पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट का उपभोग करने का पात्र है, वहां वह उस तिमाही, जिससे विवरणी संबंधित है की समाप्ति के पश्चात दस दिन के भीतर माल उत्पादन और हटाए जाने तथा सुसंगत विशिष्टियों की बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररुप में एक तिमाही विवरणी फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण-1 इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए यह स्पस्ट किया जाता है कि कोई निर्धारिती तभी पात्र होगा यदि उसकी, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित किए जाने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी सीमा शुल्क्य योग्य माल की निकासी का संकलित मूल्य चार करोड़ रुपए से अनधिक हो ।

स्पष्टीकरण-2 निर्धारिती के लिए इस परन्तुक में यथा विर्निर्दिष्ट विवरणी का फाइल किया जाना सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध होगा ।

(2) (क) उप नियम(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक निर्धारिती, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को उत्तरवर्ती वर्ष के लिए 30 नवम्बर तक बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररुप में उस पूर्ववर्ती वर्ष के लिए जिससे विवरणी संबंधित है, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए निर्धारिती या निर्धारिती के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे ऐसी वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(ग) इस उप नियम और उप नियम (7) के खंड़ (ख) के उपबंध ज्यों के त्यों शत प्रतिशत निर्यातोन्मुक्त इकाई पर लागू होंगे ।

(3) उचित अधिकारी बोर्ड द्वारा विहित रीति में उप नियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल की गई विवरणी में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर और ऐसी जांच के करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, हटाए गए माल पर निर्धारिती द्वारा निर्धारित शुल्क की शुद्धता की संवीक्षा करेगा ।

(4) प्रत्येक निर्धारिती उचित अधिकारी को सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज और अभिलेख जब कभी ऐसा अधिकारी करे उपलब्ध कराएगा ।

(5) निर्धारिती द्वारा जहां इस नियम में निर्दिष्ट कोई विवरणी उस देय तारीख के पश्चात, जो प्रत्येक विवरणी के लिए विनिर्दिष्ट है, प्रस्तुत की जाती है वहां निर्धारिती ऐसी प्रत्येक विवरणी या विवरण के प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब की अवधि के लिए अधिकतम बीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए सौ रुपये प्रतिदिन की दर से संगणित रकम का केंद्रीय सरकार के प्रत्यय के प्रति संदाय करेगा ।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आदेश द्वारा इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट विशेष प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझे ।

(7) (क) कोई निर्धारिती जिसने उस उप नियम या उसके दूसरे परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उप नियम(1) में निर्दिष्ट प्ररुप में विवरणी फाइल की है, उस कैलेन्डर मास के अंत तक, जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- जहां किसी निर्धारिती ने खंड़ (क) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत की है वहां अधिनियम की धारा 11क के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, की वसूली के प्रयोजन के लिए 'सुसंगत तारीख' ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

(ख) कोई निर्धारिती, जिसने उस उप नियम के खंड (क) में उल्लिखित देय तारीख तक उप नियम (2) के खंड(क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फाइल की है, उक्त वार्षिक विवरणी के

प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

13. कतिपय प्रकार के मामलों में निर्बधन अधिरोपित करने की शक्तिः- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां केन्द्रीय सरकार की शुल्क के अपवंचन की सीमा अपराधों की प्रकृति और प्रकार या ऐसे अन्य कारकों को जो सुसंगत हो, को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि उत्पाद शुल्क के अपवंचन या संदाय में व्यतिक्रम को रोकने के लिए लोकहित में कतिपय उपायों का जिसके अंतर्गत विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता प्रथम स्तर और दि्तीय स्तार का व्यौहारी या किसी निर्यातकर्ता पर कोई निर्बंधन भी है, उपबंध करना आवश्यक है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्बधनों की प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके अंतर्गत किसी आयातकर्ता या किसी व्यौहारी की दशा में रजिस्ट्रीकृत का निलंबन, वापस ली जाने वाली प्रसुविधाओं के प्रकार और यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी है ।

14. शुल्क के संदाय के लिए विशेष प्रक्रियाः- (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा माल विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके संबंध में निर्धारिती के पास ऐसी परिसीमाओं और शर्तों सहित जो ब्याज या शास्ति के संबंध में है अन्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे कारकों के आधार पर, जो ऐसे माल के उत्पादन के सुसंगत हो और ऐसी दर पर जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उत्पाद शुल्क के संदाय का विकल्प होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, शुल्क के संदाय, उपशमन जो किसी अवधि के दौरान किसी कारखाने के बंद होने के कारण अनुज्ञात हो, और उसके अनुषंगिक किसी विषय के लिए विशेष प्रक्रिया का उपभोग करने हेतु आवेदन करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

15. कारखाने में लगाए गए माल पर शुल्क का प्रत्यय - (1) जहां कोई ऐसा माल जिस पर उसको हटाए जाने के समय र शुल्क का संदाय कर दिया गया है, किसी कारखाने में पुन:निर्माण, परिष्कृत करने, पुन:अनुकूलन या किसी अन्य कारण से लाया जाता है, वहां निर्धारिती अपने अभिलेख में ऐसी प्राप्ति की विशिष्टियों का कथन करेगा और वह संदत्त शुल्क का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लेने का वैसे ही हकदार होगा मानो ऐसा माल केंद्रीय मूल्य वर्धित कर नियम, 2017 के अधीन इनपुट के रुप में प्राप्त हुए हैं और उक्त नियमों के अनुसार इस प्रत्यय का उपयोग करेगा ।

(2) यदि ऐसी प्रक्रिया जिसके अध्यधीन माल हटाए जाने के पूर्व विद्यमान था, विनिर्माण की कोटि में नहीं आती है तो विनिर्माता उपनियम (1) के अधीन लिए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर के बराबर रकम का संदाय करेगा और अन्य मामलों में विनिर्माता, उपनियम (1) के अधीन प्राप्त माल पर हटाए जाने की तारीख को लागू दर पर और यथास्थिति, अधिनियम

की धारा 3का उप धारा (3) या धारा 4 या धारा 4क के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क का संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के अधीन संदत्त रकम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के रुप में उसी प्रकार अनुज्ञात होगी मानो वह ऐसे विनिर्माता द्वारा जो माल को हटाता है संदत्त कोई शुल्क हो ।

(3) यदि उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसरण में कोई कठिनाई हो तो निर्धारिती ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जो यथास्थिति, प्रधानआयुक्त या आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, माल को पुन:निर्माण, परिष्कृत करने, पुन:अनुकूलन या किसी अन्य कारण के लिए माल प्राप्त कर सकेगा और तत्पश्चात् माल को हटा सकेगा ।

16. भांडागारण संबंधी उपबंध- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, शुल्क का संदाय किए बिना उत्पादन करने वाले कारखाने से किसी भांडागार के लिए एक भांडागार से दूसरे भांडागार के लिए किसी उत्पादन शुल्क्य माल को हटाए जाने की सुविधा का विस्तार कर सकेगी ।

(2) उपनियम(1) के अधीन सुविधा ऐसी शर्तों जिसके अंतर्गत शास्ति और ब्याज भी है परिसीमाओं जिसके अंतर्गत ऐसी अवधि की बाबत परिसीमा, जिसके लिए माल भांडागार में रखा हुआ है, भी है और रक्षोपायों और प्रक्रियाओं जिसके अंतर्गत ऐसे माल का प्रेषण, लेखा-जोखा और व्ययन भी है, के अधीन रहते हुए उपलब्ध होगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) ऐसे माल पर जिसे उत्पादन करने वाले कारखाने से किसी भांडागार के लिए एक भांडागार से दूसरे भांडागार के लिए हटाया जाना है, शुल्क के संदाय का दायित्व परेषिती पर होगा ।

(4) यदि भांडागार या पुनःभांडागार के लिए प्रेषित माल भांडागार में प्राप्त नहीं होता है तो शुल्क के संदाय का दायित्व पारेषणकर्ता पर होगा ।

17. शुल्क की माफी (1) जहां, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समाधानप्रद रुप में यह दर्शित किया गया है की माल प्राकृतिक कारणों से या अपरिवर्जनीय दुर्घटना द्वारा गुम या नष्ट हो गया है या माल को हटाए जाने से पहले किसी समय विनिर्माता द्वारा यह दावा किया गया है वह उपभोग या विपणन के लिए अयोग्य है वहां वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा लिखित में आदेश द्वारा अधिरोपित की जाए ऐसे माल पर संदत्त शुल्क को माफ कर सकेगा ।

बशर्ते कि जहां ऐसा शुल्क दस हजार रुपये से अधिक नहीं है वहां इस नियम के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "यथास्थिति प्रधान आयुक्त या आयुक्त " पद के स्थान पर " केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक" पद प्रतिस्थापित किया गया है ।

बशर्ते यह और कि जहां ऐसा शुल्क दस हजार रुपये से अधिक है किंतु एक लाख रुपये से अधिक का नहीं है वहां इस नियम के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त " के स्थान पर" केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त" पद प्रतिस्थापित किए गए हैं ।

बशर्ते यह भी कि जहां ऐसा शुल्क एक लाख रुपये से अधिक है किंतु पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है वहां इस नियम के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त " पद के स्थान पर " यथास्थिति केंद्रीय उत्पाद शुल्क संयुक्त् आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपर आयुक्त" पद प्रतिस्थापित किए गए हों ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदन की प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर शुल्क की माफी का विनिश्चय करेगा ।

परंतु इस उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि को, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे प्राधिकारी से, जिसके समक्ष शुल्क की माफी से संबंधित आवेदन लंबित है उच्चतर प्राधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

18. शुल्क का रिबेट - जहां किसी माल का निर्यात किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे विनिर्माण में संदत्त शुल्क की या उत्पाद शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क की ऐसे माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर संदत्त शुल्क की माफी दे सकेगी और ऐसा रिबेट ऐसी शर्तों या परिसीमाओं, यदि कोई हो, ऐसी प्रक्रिया के पूरा किए जाने के अध्यधीन होगा जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "निर्यात" व्याकरणिक रुप भेदों और सजातीय पदों के साथ निर्यात पद से भारत के बाहर माल को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी विदेशी पत्तन पर आने वाले किसी पोत के फलक पर उपयोग के लिए या विदेश जाने वाले वायुयान को प्रदाय किए जाने के लिए रसद या भंडार के रुप में माल की लदाई भी है ।

19. शुल्क का संदाय किए बिना निर्यात - (1) किसी उत्पाद शुल्क्य माल का , उत्पादक या विनिर्माता के किसी कारखाने या भांडागार या किसी ऐसे अन्य परिसर से, जो यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए, शुल्क का संदाय किए बिना निर्यात किया जा सकेगा ।

(2) किसी सामग्री को माल के ऐसे विनिर्माण या प्रसंस्करण के उपयोग के लिए, जो ऐसे निर्यात किए जाते हैं जैसा यथा स्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए । उत्पादक या विनिर्माता के कारखाने या भांडागार या किसी अन्य परिसर से शुल्क का संदाय किए बिना हटाया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन निर्यात ऐसी शर्तों रक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

20. छूट-पुट कार्य के लिए माल आदि का हटाया जाना—किसी कारखाने में प्राप्त किन्हीं इनपुट को उसी रूप में या उनका आंशिक प्रसंस्करण करने के पश्चात्, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए छुट-पुट कार्य वाले कर्मकार को और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हटाया जा सकेगा ।

21. कतिपय प्रयोजनों के लिए अर्ध परिरूपित माल को हटाए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया—यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विनिर्माता को, ऐसे शुल्क्य माल को, जो अर्ध परिरूपित माल की प्रकृति का है, कतिपय विनिर्माण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए माल को शुल्क का संदाय किए बिना किसी अन्य परिसर के लिए हटाए जाने और उसके कारखाने में या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत परिसर में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा और माल को, ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत परिसर से निर्यात के लिए शुल्क का संदाय करके या शुल्क का संदाय किए बिना हटाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

22. कतिपय प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क्य माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया—यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्माता को उसके कारखाने में विनिर्दिष्ट शुल्क्य माल को शुल्क का संदाय किए बिना परीक्षण या कोई अन्य ऐसे प्रसंस्करण के लिए जो विनिर्माण की कोटि में नहीं आता है किन्हीं अन्य परिसरों को चाहे, वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो हटाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और वह ऐसे परीक्षण के कार्यान्वयन या कोई ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के पश्चात्, —

(क) ऐसे मालों को, यथास्थिति, घरेलू उपभोग या निर्यात हेतु, पश्चावर्ती निकासी के लिए शुल्क संदाय किए बिना उक्त कारखाने में वापस लाने की ; या

(ख) यथास्थिति, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करके या शुल्क का संदाय किए बिना, घरेलू उपभोग के लिए निर्यात के लिए उक्त अन्य परिसरों से हटाए जाने की,

अनुक्षा दे सकेगा :

बशर्ते कि यह नियम ऐसे "प्रोटोटाइप" नाम से ज्ञात माल पर लागू नहीं होगा जो कि जांच या विकास परीक्षण के लिए भेजे गए हैं ।

23. घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा माल का हटाया जाना—(1) जहां किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम से घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए किसी माल को हटाया जाता है वहां ऐसा हटाया जाना नियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किसी बीजक के अधीन किया जाएगा और ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग करके या नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में केन्द्रीय सरकार के खाते में संदेय शुल्क जमा किया जाएगा ।

(2) इकाई, बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में उत्पादन, मालों का वर्णन हटाई गई मात्रा और संदत्त शुल्क से सम्बन्धित समुचित लेखे बनाए रखेगी ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को, इकाई में विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल और उसमें प्राप्त इनपुट और पूंजी माल के सम्बन्ध में, उस मास की जिसके संबंध में विवरणी है समाप्ति से दस दिन के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट प्ररूप में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि यह कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड आदेश द्वारा, ऐसी अवधि को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो वह उसमें विनिर्दिष्ट विशेष प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझे ।

(4) उचित अधिकारी, बोर्ड द्वारा विहित रीति में उप-नियम (3) के अधीन इकाई द्वारा फाइल की गई विवरणी में अन्तर्विष्ट सूचना के आधार पर और ऐसी और जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, हटाए गए माल पर निर्धारिती द्वारा निर्धारित शुल्क की शुद्धता की संवीक्षा कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक निर्धारिती, उचित अधिकारी को जब कभी ऐसा अधिकारी अपेक्षा करे, सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज और अभिलेख को उपलब्ध कराएगा ।

(6) जहां, निर्धारिती द्वारा उपनियम (3) में यथावर्णित देय तारीख के पश्चात् उस उपनियम के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जाती है, वहां निर्धारित, प्रत्येक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने में हुए विलम्ब की अवधि के लिए अधिकतम बीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए प्रतिदिन सौ रुपए की दर से संगणित रकम केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय के प्रति संदाय करेगा ।

(7) कोई निर्धारिती जिसने उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उस उपनियम में निर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी फाइल की है, उस कैलेन्डर मास के अन्त तक जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है, पुनरीक्षित विवरणी, प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—जहां कोई निर्धारिती इस उपनियम के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है वहां, यदि कोई हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वसूली के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 11क के अधीन "सुसंगत तारीख" यदि कोई है, ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

24. रजिस्ट्रीकृत परिसर तक पहुंच बनाना—(1) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, ऐसी संवीक्षा, सत्यापन और जांच करने के प्रयोजन के लिए, जो राजस्व हित के रक्षोपाय के लिए आवश्यक हो इन नियमों के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत परिसर तक पहुंच बना सकेगा ।

(2) प्रत्येक निर्धारिती, कोई ऐसा आयातकर्ता, जिसने कोई ऐसा बीजक जारी किया है जिस पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकेगा, पहले स्तर और दूसरे स्तर के व्यौहारी, उपनियम (1) के अधीन सशक्त अधिकारी को माल, जिसके अन्तर्गत इनपुट और सभी वित्तीय अभिलेखे और विवरण (जिसके अन्तर्गत शेष परीक्षणपत्र या उसके समतुल्य कोई पत्र भी है) भी हैं, की प्राप्ति, क्रय, विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या परिदान से संबंधित संव्यवहार का लेखा देने के लिए तैयार और अनुरक्षित सभी अभिलेखों की दो प्रतियों में सूची देगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, कोई ऐसा आयातकर्ता जिसने ऐसा बीजक जारी किया है जिस पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है, पहले स्तर और दूसरे स्तर का व्यौहारी, मांग करने पर, उपनियम (1) के अधीन सशक्त अधिकारी को या यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त संपरीक्षा दल को या अधिनियम की धारा 14क या धारा 14कक के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाऊन्टेंट को—

(i) उप-नियम (2) के निबंधनों में उसके द्वारा अनुरक्षित या तैयार किए गए अभिलेख ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 के अधीन लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें, यदि कोई हों ; और

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन आय-कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो,

अधिकारी या लेखा परीक्षा दल या लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउन्टेंट की संवीक्षा के लिए, यथास्थिति, उक्त अधिकारी या लेखा परीक्षा दल या लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाएगा ।

25. रोकने और तलाशी की शक्ति—कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल का वहन करने वाले किसी वाहन की तलाशी ले सकेगा, जिसके सम्बन्ध में माल को उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि शुल्क का अपवंचन करने के लिए ले जाया जा रहा था ।

26. माल को निरुद्ध करने और अभिग्रहण करने की शक्ति—यदि कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के पास, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल, जो उत्पाद शुल्क के दायित्व के अधीन है किन्तु उस पर कोई शुल्क संदत्त नहीं किया गया है या उक्त माल को उस पर संदेय शुल्क के अपवंचन के आशय से हटाया गया है, तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे माल को निरुद्ध या अभिग्रहीत कर सकेगा ।

27. अभिलेखों का वापस किया जाना—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत या किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को जिन पर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने हेतु विश्वास नहीं किया गया है, उक्त सूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर या उक्त सूचना जारी करने की अवधि समाप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर वापस कर दिया जाएगा :

बशर्ते कि, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों के प्रतिधारण के लिए आदेश

कर सकेगा और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी ऐसे प्रतिधारण के बारे में निर्धारिती या ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा ।

28. अधिहरण और शास्ति—(1) अधिनियम की धारा 11क ग के उपबंधों के अध्यधीन, यदि किसी उत्पादक, विनिर्माता, किसी भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या किसी आयातकर्ता, जिसने ऐसा बीजक जारी किया है जिस पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है या कोई किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ने—

(क) इन नियमों या इन नियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी उत्पाद शुल्क्य माल को हटाया है ; या

(ख) उसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित या भंडारित किसी उत्पाद शुल्क्य माल का कोई लेखा नहीं रखा है ; या

(ग) अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी उत्पाद शुल्क्य मालों के विनिर्माण, उत्पादन या भंडारण में लगा हुआ है ; या

(घ) शुल्क संदाय से बचने के आशय से इन नियमों या इन नियमों के अधीन जारी की अधिसूचनाओं के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है,

तो, ऐसा सभी माल अधिहरण करने के दायित्वाधीन होगा और, यथास्थिति, उत्पादक या विनिर्माता या भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई आयातकर्ता, जिसने ऐसा बीजक जारी किया है जिस पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, ऐसी शास्ति का, जो ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जिसके संबंध में खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई उल्लंघन किया गया है, शुल्क से अनधिक नहीं होगी या पांच हजार रुपए, इनमें जो भी उच्चतर हो, का दायी होगा ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जारी किया जाएगा ।

29. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल का, जिसे वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अधिनियम या इन नियमों के अधीन अधिहरण के दायित्व के अधीन है, कब्जा अर्जित करता है या जो किसी भी तरीके से उसका परिवहन करने, हटाए जाने या जमा करने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने से सम्बद्ध है या किसी अन्य रीति में उनका व्यौहार करता है ऐसे शास्ति का जो ऐसे माल पर के शुल्क से अधिक न हो या दो हजार रुपए, इनमें जो से भी उच्चतर हो, दायी होगा :

परंतु जहां शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति से संबंधित कोई कार्यवाही शुल्क, ब्याज और शास्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 11कग की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन समाप्त हो गई है, वहां उक्त कार्यवाहियों में अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध, यदि कोई हो, शास्ति से संबंधित सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसने—

(i) उसमें विनिर्दिष्ट माल के परिदान के बिना कोई उत्पाद-शुल्क बीजक जारी किया है या ऐसा बीजक बनाने का दुष्प्रेरण किया है ; या

(ii) कोई अन्य ऐसा दस्तावेज जारी किया है या ऐसा दस्तावेज बनाने का दुष्प्रेरण किया है जिसके आधार पर उक्त बीजक या दस्तावेज के उपयोक्ता द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का दावा करना या प्रतिदाय का दावा करना जैसे अनुपयुक्त फायदा लेने की संभावना है या उसने कोई अनुपयुक्त फायदा लिया है, वह ऐसी शास्ति का, जो ऐसे फायदे की रकम से अधिक न हो या पांच हजार रुपए, इसमें से जो भी उच्चतर हो, का दायी होगा ।

30. साधारण शास्ति—इन नियमों का भंग, जहां इसमें या अधिनियम में किसी अन्य शास्ति का उपबंध नहीं है, ऐसी शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी और ऐसे माल के, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, अधिहरण से दण्डनीय होगा ।

31. अधिहरित संपत्ति का केन्द्रीय सरकार में निहित किया जाना—(1) जब किसी माल का इन नियमों के अधीन अधिहरण किया गया है, तो तदुपरि ऐसी वस्तुएं केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

(2) अधिहरण का न्यायनिर्णय करने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी अधिहृत वस्तुएं का कब्जा लेगा और उन पर कब्जा रखेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी, ऐसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की अध्यपेक्षा पर ऐसी कब्जा लेने और उसे धारण करने में उसकी सहायता करेगा ।

32. अधिहरित माल का व्ययन—ऐसे अधिहृत माल का, जिसके संबंध में अधिहरण के स्थान पर जुर्माना संदाय करने का विकल्प है, उसका उपयोग नहीं किया गया है, विक्रय किया जाएगा, उसे नष्ट किया जाएगा या अन्यथा ऐसी रीति में उसका व्ययन किया जाएगा जैसा, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्देश दे ।

33. अधिहरित माल के संबंध में भंडारण प्रभार और मोचन—यदि ऐसे माल का स्वामी, जिसका अधिहरण न्यायनिर्णीत किया गया है, अधिहरण के स्थान पर जुर्माने के संदाय के विकल्प का प्रयोग करता है तो उससे ऐसे भंडारण प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा होगी जो न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अवधारित किए जाएं ।

34. अनुपूरक अनुदेश जारी करने की शक्ति—यथास्थिति, बोर्ड या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों से संगत कोई आनुषांगिक या अनुपूरक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु लिखित अनुदेश जारी कर सकेगा ।

35. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संख्या 2) नियम, 2001 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के अधीन जारी और इस नियमों के प्रारंभ पर प्रवृत्त कोई अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश, व्यापार सूचना या अन्य आदेश उस सीमा तक जहां तक यह इन नियमों से

सुसंगत और संबंधित है विधिमान्य और इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी ।

(2) इन नियमों के प्रारूप पर, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संख्या 2) नियम, 2001 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 और उसके किसी उपबंध के प्रति किसी नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश, व्यापार सूचना या अन्य आदेश में निर्देशों का आर्थान्वयन, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 और उसके किसी तत्स्थानी उपबंध के रूप में किया जाएगा ।

[फा. सं. 201/08/2017-सी एक्स-6]

(रोहन)
अवर सचिव, भारत सरकार